

फा. सं. 12024/08/2017-रा.भा.(का.2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 26.04.2017

कार्यालय आदेश

विषय:- उत्तर-1 व मध्य क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण।

सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से उत्तर-1 व मध्य क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है-


(क.) पुनर्निर्धारण से पूर्व:

क्र.स.	क्षे.का.का	नराकास	राज्य
3.	उत्तर-1 (दिल्ली)	59	दिल्ली यू.टी., पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर
4.	मध्य (भोपाल)	75	राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़

(ख.) पुनर्निर्धारण के बाद:

क्र.स.	क्षे.का.का	नराकास	राज्य
3.	उत्तर-1 (दिल्ली)	83	दिल्ली यू.टी., पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान
4.	मध्य (भोपाल)	51	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़

इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए।


(डा. जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक (का.)

प्रति:-

- उप निदेशक (का.), क्षे.का.का, दिल्ली (उत्तर-1), ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023।
- सहायक निदेशक (का.), क्षे.का.का., मध्य (भोपाल), कमरा नं. 206, निर्माण सदन, 52 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011.

प्रतिलिपि:-

- सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव।
- संयुक्त सचिव के निजी सचिव।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी।
- अवर सचिव (का.), राजभाषा विभाग।
- गार्ड फाइल।